राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.1(38)परि/स्था/92/ 51533 जयपुर, दिनांकः– 20-10-2014

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 68 की उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(38)परि/स्था./92/45400 दिनांक 25.03.2014 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार श्री चुन्नी लाल कायल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (I) (एम.आर.टी.ए.) को एतद् द्वारा जयपुर (दक्षिण), जयपुर (उत्तर), अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए सभी प्रक़ार के परिवहन यानों (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (9) के अंतर्गत ट्यूरिस्ट परमिट को छोड़कर) के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

Sd
(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ.1(38)परि/स्था/92/ 51534-48 जयपुर, दिनांकः– 20-10-2014
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री/परिवहन राज्यमंत्री महोदय।
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)।
5. निजी सहायक, सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
8. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
11. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
12. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/उपायुक्त (प्रवर्तन)/जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, जयपुर।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
15. निजी/रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

D://ESTT/MANEESHJI/LETTERS